भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1206
(11 **फरवरी**, 2025 **को उत्तर दिए जाने के लिए**)

ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं

1206. **डॉ. नामदेव किरसान:**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेष रूप से महाराष्ट्र सहित उक्त योजनाओं के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार , प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित राज्य और संघ राज्यक्षेत्रवार कितनी निधि आवंटित, जारी और उपयोग की गई; और

(घ) क्या सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई नई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(**श्री कमलेश पासवान**)

(**क) से** (**ग**): जून 2011 में शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) का एक महिला-केंद्रित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। यह गरीबों की आजीविका में सुधार लाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। डीएवाई -एनआरएलएम का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करना और उन्हें अब तक आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए लगातार पोषित करना और सहायता देना है , जब तक कि वे समय के साथ आय में सराहनीय वृद्धि हासिल नहीं कर लेते और घोर गरीबी से बाहर नहीं आ जाते। यह मिशन चार मुख्य घटकों में निवेश के माध्यम से अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, अर्थात (क) सामाजिक संगठन और ग्रामीण गरीबों की स्व-प्रबंधित और वित्तीय रूप

से टिकाऊ सामुदायिक संस्थाओं का प्रचार और सुदृढ़ीकरण ; (ख) ग्रामीण गरीबों का वित्तीय समावेशन; (ग) सतत आजीविका ; और (घ) सामाजिक समावेशन , सामाजिक विकास और अभिसरण। मिशन ने 10 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को 90 लाख से ज़्यादा स्व-सहायता समूहों में संगठित किया है। इसने उनके कौशल का विकास करके और उन्हें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से वित्त, हकदारियों और सेवाओं के औपचारिक स्रोतों तक पहुँचने में सक्षम बनाकर उन्हें स्थायी आजीविका के अवसरों से जोड़ा है। यह परिकल्पना की गई है कि ग्रामीण गरीब महिलाओं के गहन और निरंतर क्षमता निर्माण से उनका सामाजिक , आर्थिक और राजनीतिक उत्थान सुनिश्चित होगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 में यह अपेक्षा की जाती है कि महिलाओं को इस तरह से प्राथमिकता दी जाए कि कम से कम एक-तिहाई लाभार्थी ऐसी महिलाएं हों जिन्होंने पंजीकरण कराया है और काम के लिए आवेदन किया है। महात्मा गांधी नरेगा योजना एक लैंगिक निरपेक्ष योजना है जो पुरुषों के साथ मजदूरी समानता, महिलाओं के लिए मजदूरी की दरों की अलग अनुसूची का प्रावधान, क्रेच के लिए सुविधाएं , बच्चों के लिए वर्क-साइड शेड और बाल देखभाल सेवाएं प्रदान करके महिलाओं की भागीदारी होती है। एनआरएलएम के साथ अभिसरण में महिला साथियों को भी शामिल किया गया है जिससे पुन महिलाओं की भागीदारी सुकर हो जाती है। इस योजना का उद्देश्य लाभार्थियों के निवास के निकट ही काम उपलब्ध कराना भी है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय एनआरएलएम के अंतर्गत ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए कौशल विकास में दो कल्याणकारी कार्यक्रम भी कार्यान्वित कर रहा है:-

(i) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) जो 15-35 वर्ष के आयु वर्ग के ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए एक नियोजन से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम है। यह ग्रामीण गरीब युवाओं को रोजगार योग्य कौशल के साथ सशक्त बनाता है और नियमित श्रम बाजारों में उनकी भागीदारी को सुविधाजनक बनाता है , इस प्रकार उन्हें न्यूनतम मजदूरी पर या उससे अधिक नियमित मासिक मजदूरी वाले रोजगार प्रदान करता है। डीडीयू-जीकेवाई के तहत, 33% महिलाओं का कवरेज अनिवार्य है।

(ii) आरएसईटीआई कौशल और उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रायोजक बैंकों द्वारा अपने जिलों में स्थापित एक बैंक नेतृत्व वाला ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित प्रशिक्षण संस्थान है। ग्रामीण विकास मंत्रालय आरएसईटीआई भवन के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और ग्रामीण गरीब उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने की लागत भी वहन करता है। 18-45 वर्ष के आयु वर्ग का कोई भी बेरोजगार युवा जो स्वरोजगार या मजदूरी रोजगार करने की योग्यता रखता हो और संबंधित क्षेत्र में कुछ बुनियादी ज्ञान रखता हो , वह आरएसईटीआई में

प्रशिक्षण ले सकता है। कुछ प्रशिक्षित उम्मीदवार नियमित वेतनभोगी नौकरी/मजदूरी रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत एक महिला-विशिष्ट योजना यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना लागू कर रहा है। एनडब्ल्यूपीएस के तहत केंद्रीय पेंशन प्रति लाभार्थी प्रति माह 300 रुपये है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे अपने संसाधनों से कम से कम समान राशि का अंशदान करें। आवेदक 40-79 वर्ष के आयु वर्ग में विधवा होनी चाहिए। आवेदक केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार से संबंधित होना चाहिए। 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लाभार्थियों को प्रतिमाह 500/- रुपये की बढ़ी हुई सहायता मिलती है। वर्तमान में विधवा लाभार्थियों को राज्य पेंशन राशि के आधार पर 300 रुपये से 2800 रुपये के बीच पेंशन मिल रही है जो प्रत्येक राज्य में भिन्न है। वर्तमान में , सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए इस योजना के तहत अधिकतम सीमा 67.36 लाख आंकी गई है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की अन्य योजनाएं सामान्य रूप से महिलाओं को प्राथमिकता देती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण के तहत दिशानिर्देशों में यह प्रावधान है कि विधवा/अविवाहित/अलग हुए व्यक्ति के मामले को छोड़कर , आवास का आवंटन पति और पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से किया जाएगा। राज्य केवल महिला के नाम पर आवास आवंटित करने का विकल्प भी चुन सकता है।

महाराष्ट्र सहित इन योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध**-I में दिया गया है। पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटित , जारी की गई और उपयोग की गई निधियों की राशि, जहां कहीं भी अनुरक्षित, **अनुबंध**-II में दी गई है।

इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा एवं सशक्तीकरण के लिए व्यापक स्कीम के रूप में एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम - मिशन शक्ति का कार्यान्वयन करती है। व्यापक योजना मिशन शक्ति की दो उप योजना नामत: 'संबल' और 'सामर्थ्य' है। 'सामर्थ्य' उप-योजना में एक घटक यथा महिला सशक्तीकरण केन्द्र (एचईडब्लू) है जिसे संकल्प के रूप में जाना जाता है: महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए एचईडब्लू (पोषण और ज्ञान आधारित उन्नति, अंतिम छोर तक सेवा प्रदायगी और महिलाओं को अपनी क्षमताओं का पता लगाने के लिए सहयोगात्मक कार्रवाई: महिला सशक्तीकरण केन्द्र) को राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य केन्द्र , राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिला स्तर पर महिलाओं के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण को सुविधाजनक बनाना है जिसके माध्यम से एक ऐसे वातावरण का निर्माण है जिसमें महिलाएं अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें , महिलाओं के लिए राज्य की कार्रवाई में अंतराल को दूर किया

जा सके और इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं की पहुंच और उपयोग में सुधार करके सामाजिक परिवर्तन के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर महिलाओं के समग्र सशक्तीकरण को बढ़ावा देने वाली प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करके अंतर-मंत्रालयी और अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण को बढ़ावा देना है। एचईडब्ल्यू के तहत सहायता का उद्देश्य महिलाओं को उनके सशक्तीकरण और विकास के लिए विभिन्न संस्थागत और योजनाबद्ध व्यवस्थाओं से जोड़ना , उनका मार्गदर्शन करना और उनको सहायता प्रदान करना है , जिसमें स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, करियर और व्यावसायिक परामर्श/प्रशिक्षण , वित्तीय समावेशन, उद्यमिता, बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज , श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा , सामाजिक सुरक्षा और पूरे देश में जिलों/ब्लॉकों/ग्राम पंचायतों के स्तर पर डिजिटल साक्षरता तक पहुँच को सुगम बनाना शामिल है। संकल्प: एचईडब्ल्यू को पश्चिम बंगाल राज्य को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है और यह 35 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत है। आज की दिनांक के अनुसार कुल 35 राज्य संकल्प: एचईडब्ल्यू और 742 जिला संकल्प: एचईडब्ल्यू कार्यरत हैं।

कामकाजी माताओं को अपने बच्चों की उचित देखभाल और संरक्षा में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए पालना योजना के माध्यम से दिनभर की देखभाल के लिए क्रेच की सुविधा प्रदान की जा रही है। क्रेच सेवाएँ बच्चों की देखभाल की ज़िम्मेदारियों को औपचारिक बनाती हैं जिन्हें अब तक घरेलू काम का हिस्सा माना जाता था। देखभाल के काम को औपचारिक बनाने से सतत विकास लक्ष्य 8 -कार्य काम और आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए "सभ्य कार्य अभियान" को बढ़ावा मिलता है। इससे और अधिक माताएँ , जो अवैतनिक बाल-देखभाल की ज़िम्मेदारियों से मुक्त होंगी, लाभकारी रोज़गार अपना सकेंगी।

आंगनवाड़ी केंद्र दुनिया का सबसे बड़ा बाल देखभाल संस्थान हैं जो अंतिम छोर तक देखभाल सुविधाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करके बच्चों का आवश्यक देखभाल और सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित हैं। अपने दृष्टिकोण में अनोखे , मंत्रालय ने आंगनवाड़ी सह क्रेच (एडब्ल्यूसीसी) के माध्यम से बच्चों की देखभाल की सेवाओं का विस्तार किया है। यह पूरे दिन बच्चों की देखभाल में सहायता सुनिश्चित करेगा और एक सुरक्षित वातावरण में उनकी भलाई सुनिश्चित करेगा। आंगनवाड़ी सह क्रेच पहल का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में 'महिला कार्यबल भागीदारी' बढ़ाना है। पालना का उद्देश्य बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष की आयु तक) के लिए सुरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण क्रेच सुविधा प्रदान करना , पोषण संबंधी सहायता, बच्चों का स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास, विकास निगरानी और टीकाकरण प्रदान करना है। पालना के तहत क्रेच सुविधाएं सभी माताओं को प्रदान की जाती हैं , चाहे उनकी रोजगार स्थिति कुछ भी हो। पालना के अंतर्गत 2 प्रकार के क्रेच हैं: स्टैंडअलोन क्रेच और आंगनवाड़ी-सह-क्रेच।

मिशन शक्ति के एक अंग के रूप में , 15वें वित्त आयोग चक्र (यानी वित्त वर्ष 2025-26 तक) के दौरान पालना योजना के अंतर्गत कुल 17,000 आंगनवाड़ी-सह-क्रेच (एडब्ल्यूसीसी) की स्थापना को मंजूरी दी गई है। एडब्ल्यूसीसी की स्थापना और संचालन के लिए प्रस्ताव

संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त किए जाते हैं , जो योजना के कार्यान्वयन के लिए अपने संबंधित अंश का योगदान करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। दिनांक 31.01.2025 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कुल 11,395 एडब्ल्यूसीसी को मंजूरी दी गई है।

ये कार्यक्रम देश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को कवर करते हैं और इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां अलग-अलग उपलब्ध नहीं हैं।

(**घ**): ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए डीएवाई-एनआरएलएम के तहत कई पहल की हैं। इनमें से एक प्रमुख पहल लखपति दीदी है, जिसके तहत स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की महिलाओं को कम से कम 1 लाख रुपये की वार्षिक घरेलू आय अर्जित करने में सक्षम बनाया जाता है , जिसमें कम से कम 4 कृषि मौसमों और/या व्यावसायिक चक्रों के लिए कम से कम 10,000 रुपये (दस हजार रुपये) की औसत मासिक आय होती है। प्रशिक्षित सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों की मदद से उन्हें कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में कई आजीविका गतिविधियों में संलग्न करने के लिए सहायता प्रदान किया जाती है। अब तक 1.15 करोड़ लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) है, जिसका उद्देश्य महिला एसएचजी सदस्यों को बेहतर कृषि पद्धतियों, पशुधन संवर्धन और गैर-लकड़ी वन उपज में प्रशिक्षित करना है। स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमित कार्यक्रम (एसवीईपी) महिलाओं को ब्लॉक स्तर पर वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके उद्यम स्थापित करने में सहायता करता है। पिछले तीन वर्षों में एसवीईपी के तहत कुल 1,35,875 उद्यमियों को सहायता दी गई है।

अनुबंध-I

"**ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं" के संबंध में लोक सभा में दिनांक** 11.02.2025 **को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या** 1206 **के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-I**

महाराष्ट्र सहित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उपलब्धियों का ब्यौरा

I. डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत महाराष्ट्र सहित 34 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में संगठित परिवारों और गठित स्वयं सहायता समूहों का ब्यौरा

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्व-सहायता समूह	परिवार
1	आंध्र प्रदेश	855600	9075289
2	असम	361516	4111020
3	बिहार	1097100	12713428
4	छत्तीसगढ़	276375	3068427
5	गुजरात	279758	2783006
6	झारखंड	291601	3589607
7	कर्नाटक	360684	4207374
8	केरल	271209	4002478
9	मध्य प्रदेश	487291	5829972
10	महाराष्ट्र	640719	6525549
11	ओडिशा	551141	5775035
12	राजस्थान	321875	3804161
13	तमिलनाडु	336764	4023939
14	तेलंगाना	442979	4820573
15	उत्तर प्रदेश	842101	9509884
16	पश्चिम बंगाल	1192980	12251533
17	हरियाणा	60301	629094
18	हिमाचल प्रदेश	45295	378542
19	जम्मू एवं कश्मीर	91445	797805
20	पंजाब	52118	543246
21	उत्तराखंड	65840	497777
22	अरूणाचल	11730	91964
23	मणिपुर	11538	117457
24	मेघालय	45312	444264
25	मिजोरम	10291	85934

26	नागालैंड	15419	135261
27	सिक्किम	5915	56675
28	त्रिपुरा	51841	494675
29	अंडमान	1294	13194
30	गोवा	3891	50735
31	लद्दाख	1745	12230
32	लक्षद्वीप	348	4363
33	पुदुचेरी	4744	59714
34	दमन दीव तथा नगर हवेली	1645	16674
	कुल:	9090405	100520879

II. महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 2019-20 से 2024-25 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार (महाराष्ट्र सहित) महिलाओं की भागीदारी की दर (कुल प्रतिशत में से महिला श्रम-दिवस का प्रतिशत) (03.02.2025 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20			2020-21		
		कुल सृजित श्रम दिवस (लाख में)	सृजित महिला श्रम दिवस (लाख में)	प्रतिशत	कुल सृजित श्रम दिवस (लाख में)	सृजित महिला श्रम दिवस (लाख में)	प्रतिशत
1	आंध्र प्रदेश	2001.73	1202.44	60.07%	2585.84	1480.16	57.24%
2	अरुणाचल प्रदेश	85.97	34.79	40.47%	127.97	52.91	41.34%
3	असम	623.06	260.27	41.77%	911.53	401.85	44.08%
4	बिहार	1406.81	785.36	55.83%	2261.26	1235.28	54.63%
5	छत्तीसगढ़	1361.75	690.44	50.70%	1840.90	929.60	50.50%
6	गोवा	0.34	0.26	75.59%	1.10	0.84	76.55%
7	गुजरात	353.69	159.62	45.13%	482.29	224.33	46.51%
8	हरियाणा	91.19	46.14	50.59%	179.62	87.65	48.80%
9	हिमाचल प्रदेश	259.19	162.63	62.75%	336.19	205.26	61.05%
10	जम्मू और कश्मीर	313.41	103.20	32.93%	407.01	128.91	31.67%
11	झारखंड	641.95	265.21	41.31%	1176.08	500.57	42.56%
12	कर्नाटक	1118.63	549.50	49.12%	1480.27	732.30	49.47%
13	केरल	802.30	720.48	89.80%	1023.00	925.70	90.49%
14	लद्दाख	19.03	11.54	60.65%	21.30	13.09	61.46%
15	मध्य प्रदेश	1929.02	735.29	38.12%	3417.88	1384.05	40.49%
16	महाराष्ट्र	629.58	273.32	43.41%	679.35	291.62	42.93%
17	मणिपुर	234.07	114.66	48.99%	330.52	171.95	52.03%

18	मेघालय	370.22	187.01	50.51%	383.70	197.10	51.37%
19	मिजोरम	192.08	97.69	50.86%	198.65	112.88	56.82%
20	नागालैंड	138.48	49.34	35.63%	180.12	65.40	36.31%
21	ओडिशा	1113.89	482.34	43.30%	2080.75	931.02	44.74%
22	पंजाब	235.25	138.31	58.79%	376.75	214.43	56.92%
23	राजस्थान	3286.42	2212.60	67.33%	4605.35	3024.79	65.68%
24	सिक्किम	29.47	15.05	51.07%	37.34	19.11	51.17%
25	तमिलनाडु	2485.10	2144.75	86.30%	3339.46	2850.84	85.37%
26	तेलंगाना	1071.14	658.78	61.50%	1579.53	917.07	58.06%
27	त्रिपुरा	344.02	161.81	47.03%	437.22	208.21	47.62%
28	उत्तर प्रदेश	2443.23	837.55	34.28%	3930.60	1319.41	33.57%
29	उत्तराखंड	206.10	116.71	56.63%	303.60	167.40	55.14%
30	पश्चिम बंगाल	2722.81	1305.12	47.93%	4140.17	1871.52	45.20%
31	अंडमान और निकोबार	2.21	1.31	59.43%	2.61	1.43	54.66%
32	लक्षद्वीप	0.04	0.01	11.63%	0.02	0.00	13.04%
33	पुदुचेरी	7.65	6.64	86.79%	10.57	9.18	86.82%
34	दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
	कुल	26519.84	14530.13	54.79%	38868.52	20675.83	53.19%

		2021-22			2022-23		
क्र.सं	**राज्य**	**कुल सृजित श्रमदिवस** (लाख में)	**सृजित महिला श्रम दिवस (लाख में)**	**प्रतिशत**	**कुल सृजित श्रमदिवस** (लाख में)	**सृजित महिला श्रमदिवस (लाख में)**	**प्रतिशत**
1	आंध्र प्रदेश	2414.79	1395.97	57.81%	2395.36	1449.57	60.52%
2	अरुणाचल प्रदेश	158.69	70.98	44.73%	151.07	69.33	45.89%
3	असम	915.85	435.65	47.57%	786.78	374.13	47.55%
4	बिहार	1802.75	958.82	53.19%	2364.39	1333.48	56.40%
5	छत्तीसगढ़	1692.27	873.48	51.62%	1324.97	705.46	53.24%
6	गोवा	0.95	0.74	78.40%	0.94	0.74	78.40%
7	गुजरात	568.01	264.78	46.62%	465.99	222.82	47.82%
8	हरियाणा	146.39	77.10	52.67%	96.48	57.51	59.60%
9	हिमाचल प्रदेश	370.94	231.96	62.53%	307.89	199.59	64.83%
10	जम्मू और कश्मीर	406.18	135.42	33.34%	308.68	94.71	30.68%

11	झारखंड	1132.20	516.37	45.61%	914.86	435.25	47.58%
12	कर्नाटक	1632.10	818.17	50.13%	1257.80	653.33	51.94%
13	केरल	1059.66	949.59	89.61%	965.78	867.45	89.82%
14	लद्दाख	19.27	11.99	62.23%	19.56	12.09	61.83%
15	मध्य प्रदेश	2998.50	1230.89	41.05%	2258.99	944.36	41.80%
16	महाराष्ट्र	825.30	360.38	43.67%	787.89	352.51	44.74%
17	मणिपुर	303.31	159.48	52.58%	74.16	37.82	50.99%
18	मेघालय	393.63	199.21	50.61%	289.22	149.09	51.55%
19	मिजोरम	200.77	95.87	47.75%	202.33	97.18	48.03%
20	नागालैंड	192.58	73.47	38.15%	196.81	84.46	42.92%
21	ओडिशा	1977.63	912.51	46.14%	1850.90	887.80	47.97%
22	पंजाब	331.43	200.27	60.42%	321.14	213.94	66.62%
23	राजस्थान	4242.67	2828.99	66.68%	3571.34	2437.21	68.24%
24	सिक्किम	34.34	18.08	52.65%	32.47	17.71	54.54%
25	तमिलनाडु	3457.26	2962.80	85.70%	3346.55	2891.96	86.42%
26	तेलंगाना	1457.93	862.87	59.18%	1218.66	750.14	61.55%
27	त्रिपुरा	426.18	202.58	47.53%	334.55	162.15	48.47%
28	उत्तर प्रदेश	3255.75	1212.69	37.25%	3113.23	1178.84	37.87%
29	उत्तराखंड	243.18	134.98	55.51%	206.41	117.17	56.77%
30	पश्चिम बंगाल	3642.27	1702.62	46.75%	378.75	181.73	47.98%
31	अंडमान और निकोबार	1.14	0.61	54.10%	1.29	0.76	59.13%
32	लक्षद्वीप	0.01	0.00	0.00%	0.05	0.01	26.67%
33	पुदुचेरी	6.15	5.38	87.59%	8.30	7.26	87.54%
34	दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
	कुल	36310.05	19904.69	54.82%	29553.57	16987.55	57.48%

		2023-24			2024-25 (06.02.25 **की स्थिति के अनुसार**)		
		कुल सृजित श्रमदिवस (**लाख में**)	**सृजित महिला श्रमदिवस (लाख में)**	**प्रतिशत**	**कुल सृजित श्रमदिवस** (**लाख में**)	**सृजित महिला श्रमदिवस (लाख में)**	**प्रतिशत**
1	आंध्र प्रदेश	2554.92	1547.24	60.56%	2097.07	1252.68	59.73%
2	अरुणाचल प्रदेश	160.52	76.77	47.83%	154.32	75.84	49.14%
3	असम	874.41	442.43	50.60%	599.34	326.17	54.42%
4	बिहार	2205.20	1196.82	54.27%	2028.52	1113.91	54.91%
5	छत्तीसगढ़	1276.62	690.85	54.12%	1124.52	606.40	53.93%

6	गोवा	0.43	0.31	72.09%	0.58	0.45	76.94%
7	गुजरात	492.75	231.55	46.99%	373.98	176.18	47.11%
8	हरियाणा	123.16	75.19	61.05%	96.02	60.05	62.54%
9	हिमाचल प्रदेश	344.31	220.60	64.07%	337.99	215.67	63.81%
10	जम्मू और कश्मीर	374.75	120.52	32.16%	305.55	97.69	31.97%
11	झारखंड	1097.14	524.81	47.83%	817.00	397.59	48.66%
12	कर्नाटक	1384.71	731.58	52.83%	1105.30	591.37	53.50%
13	केरल	994.59	887.84	89.27%	754.77	671.31	88.94%
14	लद्दाख	20.24	12.88	63.66%	21.25	13.55	63.79%
15	मध्य प्रदेश	1995.72	864.75	43.33%	1556.36	677.74	43.55%
16	महाराष्ट्र	1159.99	509.65	43.94%	1243.81	551.96	44.38%
17	मणिपुर	146.80	77.75	52.96%	179.08	99.43	55.52%
18	मेघालय	325.07	186.67	57.43%	208.84	130.70	62.58%
19	मिजोरम	204.07	99.76	48.89%	171.36	84.83	49.51%
20	नागालैंड	178.73	80.02	44.77%	63.40	30.65	48.34%
21	ओडिशा	1828.34	896.96	49.06%	946.75	456.20	48.19%
22	पंजाब	350.80	240.88	68.67%	265.27	183.57	69.20%
23	राजस्थान	3751.60	2577.60	68.71%	2648.02	1836.44	69.35%
24	सिक्किम	34.33	19.03	55.42%	28.31	15.58	55.05%
25	तमिलनाडु	4087.02	3541.78	86.66%	2640.69	2273.08	86.08%
26	तेलंगाना	1208.58	759.44	62.84%	1072.39	667.13	62.21%
27	त्रिपुरा	370.49	183.65	49.57%	329.99	166.32	50.40%
28	उत्तर प्रदेश	3452.48	1458.91	42.26%	3000.04	1252.91	41.76%
29	उत्तराखंड	196.88	111.93	56.85%	163.20	90.73	55.59%
30	पश्चिम बंगाल	1.65	0.74	45.02%	0.00	0.00	0.00%
31	अंडमान और निकोबार	1.24	0.79	63.73%	0.67	0.40	60.06%
32	लक्षद्वीप	0.04	0.01	40.00%	0.00	0.00	0.00%
33	पुदुचेरी	21.89	19.13	87.39%	9.62	8.41	87.42%
34	दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव	0.41	0.20	48.79%	2.23	1.12	50.27%
	कुल	31219.87	18389.03	58.90%	24346.24	14126.06	58.02%

III. **डीडीयू-जीकेवाई**

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डीडीयू-जीकेवाई के तहत प्रशिक्षित और नियोजित महिला अभ्यर्थी:

क्र सं	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25(**दिसंबर**'24)	
		प्रशिक्षित महिलाएं	**नियोजित महिलाएं**	**प्रशिक्षित महिलाएं**	**नियोजित महिलाएं**	**प्रशिक्षित महिलाएं**	**नियोजित महिलाएं**	**प्रशिक्षित महिलाएं**	**नियोजित महिलाएं**	**प्रशिक्षित महिलाएं**	**नियोजित महिलाएं**	**प्रशिक्षित महिलाएं**	**नियोजित महिलाएं**
1	आंध्र प्रदेश	6119	3810	1542	605	565	924	8276	7417	9892	9292	4746	4215
2	अरुणाचल प्रदेश	55	0	20	20	227	68	406	215	418	219	304	112
3	असम	6379	5747	1494	1798	2666	681	8896	4757	8794	5963	3527	2233
4	बिहार	6744	2487	1402	1304	4021	1225	6752	5110	4211	4032	1078	1079
5	छत्तीसगढ़	6259	1966	608	1007	4505	1920	6698	5503	2154	2809	658	953
6	गुजरात	1492	1055	172	400	454	289	1713	879	2670	1703	1781	1207
7	हरियाणा	983	1897	6	386	1019	411	2692	1552	4541	2728	1694	1172
8	हिमाचल प्रदेश	1079	393	0	62	161	6	2445	1337	2769	1979	1294	927
9	जम्मू और कश्मीर	3988	532	1338	821	1091	481	2968	1301	599	595	453	149
10	झारखंड	8940	4400	693	1109	3624	1055	8464	5963	8244	6470	3839	2338
11	कर्नाटक	3293	3597	523	643	988	261	1977	1365	2222	1610	448	657
12	केरल	6157	4064	1530	1323	1555	589	4334	2469	2501	2072	878	753
13	मध्य प्रदेश	5629	3538	599	535	4556	2664	9767	7140	7671	6559	1908	1885
14	महाराष्ट्र	6868	5395	511	1273	204	911	3818	2371	3588	1905	2636	1131
15	मणिपुर	1035	373	175	192	595	77	1155	819	358	391	41	191
16	मेघालय	1026	445	38	62	254	168	1262	874	1311	1004	680	200
17	मिजोरम	291	185	22	43	116	44	203	217	427	289	226	186
18	नागालैंड	385	118	102	100	477	185	1223	680	885	847	185	192
19	ओडिशा	25216	16161	4855	5165	7856	3902	11312	9817	3117	3603	617	741
20	पंजाब	887	637	1358	601	3601	2377	4572	3795	7159	5366	273	1566

21	राजस्थान	6774	1775	520	734	1853	1455	3443	3679	5147	2553	3092	2083
22	सिक्किम	304	16	0	43	30	7	468	184	694	430	163	185
23	तमिल नाडु	5504	1550	133	612	4772	1691	8675	5867	8191	6007	2487	1406
24	तेलंगाना	4367	2425	828	996	1635	835	2116	1873	25	104	570	53
25	त्रिपुरा	761	270	11	345	400	81	980	522	939	568	202	214
26	उत्तर प्रदेश	11802	2281	870	1330	8565	2107	19528	11482	26626	18679	7317	5640
27	उत्तराखंड	864	284	104	269	2336	624	5219	2999	3770	3524	957	1429
28	पश्चिम बंगाल	3490	1039	231	862	230	966	3503	1616	2376	2646	916	501
29	पुदुचेरी					87	36	647	259	612	584	213	205
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह					0	0	7	3	339	153	45	43
कुल		126691	66440	19685	22640	58443	26040	133519	92065	122250	94684	43228	33646

स्रोत: कौशल भारत पोर्टल

IV. पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आरएसईटीआई के तहत प्रशिक्षित और नियोजित महिला अभ्यर्थी:

क्र.सं	**राज्य**	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25 (31.12.24 **तक**)	
		प्रशिक्षित	**नियोजित**	**प्रशिक्षित**	**नियोजित**	**प्रशिक्षित**	**नियोजित**	**प्रशिक्षित**	**नियोजित**	**प्रशिक्षित**	**नियोजित**	**प्रशिक्षित**	**नियोजित**
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	352	213	290	130	407	367	373	397	489	441	526	426
2	आंध्र प्रदेश	6485	4515	3637	2794	5961	5089	8565	7187	8936	7027	9311	7101
3	अरुणाचल प्रदेश	105	133	8	23	128	0	239	243	300	141	486	155
4	असम	8387	5325	5688	3608	7849	6666	12137	9524	14811	9882	16595	9103
5	बिहार	14648	11450	8760	6089	12828	9206	16365	14496	17466	15125	19811	13235
6	छत्तीसगढ़	9348	6344	6635	4310	7612	6385	9749	9061	9957	8154	10684	7418
7	दादरा और नगर हवेली	557	383	493	403	520	418	628	492	643	461	505	374
8	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	गुजरात	17688	12861	10593	7148	14701	12124	19290	15390	21845	14827	22414	14924
10	हरियाणा	9374	6417	8518	4753	9022	6572	11823	7721	12701	9425	13994	6970
11	हिमाचल	4073	2661	2889	1751	4346	2959	5596	3747	6460	4956	8003	3808

	प्रदेश												
12	जम्मू एवं कश्मीर	4618	3662	3033	2124	3403	2519	5826	4716	6418	4680	12765	6899
13	झारखंड	12762	10769	9449	6333	12049	9444	16027	12107	16947	12648	15437	9731
14	कर्नाटक	14775	12445	10295	7653	12696	11246	17397	13881	17345	14416	15798	10957
15	केरल	7941	7402	4099	3750	5092	4842	7951	6938	8703	6801	9577	5612
16	लक्षद्वीप	36	0	158	96	93	33	444	282	381	312	422	227
17	मध्य प्रदेश	21362	14353	15848	11639	17931	15122	25123	20086	28372	22608	29322	20254
18	महाराष्ट्र	17601	14249	13998	10295	14620	12275	20915	17112	22192	18017	24148	16369
19	मणिपुर	306	247	147	214	281	217	590	562	908	745	1515	780
20	मेघालय	1087	628	799	506	1439	755	1534	1295	2024	1345	2752	1209
21	मिजोरम	556	548	292	231	412	388	555	495	628	600	1091	502
22	नागालैंड	209	126	164	58	202	180	184	208	349	147	225	137
23	ओडिशा	17269	12953	14249	10487	14788	13088	18611	16317	20046	18288	19266	15057
24	पुदुचेरी	541	388	422	328	446	340	667	633	746	607	706	349
25	पंजाब	6775	3907	6063	4202	7599	5732	8401	6839	9470	7676	10461	5978
26	राजस्थान	21310	14620	17338	10063	20634	17132	26712	23016	29256	24135	27761	19646
27	सिक्किम	223	350	147	51	165	115	332	269	262	243	812	368
28	तमिलनाडु	19715	12157	12358	9409	14119	12227	22636	18014	25365	21076	25734	18208
29	तेलंगाना	3765	3049	2186	1692	3807	3548	4929	4327	5315	4520	6171	4185
30	त्रिपुरा	1493	936	1399	395	1981	1376	2377	1927	3021	2377	3387	1371
31	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	235	101	261	123	466	271	508	313	460	334	735	398
32	उत्तर प्रदेश	35508	27717	36429	20291	47894	41746	48633	41883	49257	43662	50225	35911
33	उत्तराखंड	5134	4125	4935	3635	5361	3675	6047	4793	6920	5243	9192	4392
34	पश्चिम बंगाल	9897	6976	5214	3954	8255	6343	10734	8706	12325	9473	12965	7663
	कुल	274135	202010	206794	138538	257107	212400	331898	272977	360318	290392	382796	249717

स्रोत: एनएसीईआर

V. एनएसएपी: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना लाभार्थियों की संख्या

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**लाभार्थियों की संख्या**				
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	245607	245607	245607	245607	246832
2	बिहार	547777	547777	634695	634695	635091
3	छत्तीसगढ़	176601	183076	192701	198493	203628
4	गोवा	315	315	4915	5868	5886
5	गुजरात	97473	218395	218395	231632	276078
6	हरियाणा	57149	57149	57149	57149	70808
7	हिमाचल प्रदेश	17979	17979	17979	21974	21974
8	जम्मू एवं कश्मीर	7487	7278	7278	7619	7570
9	झारखंड	270447	271579	268589	267477	262435
10	कर्नाटक	460074	460084	452027	452027	452027
11	केरल	209236	209236	209236	209236	320715
12	मध्य प्रदेश	536412	536412	536412	536412	546920

13	महाराष्ट्र	60548	64956	70671	74933	80725
14	ओडिशा	526209	525706	508015	528570	521271
15	पंजाब	16294	15311	18462	19294	19294
16	राजस्थान	160008	180341	278712	305053	315048
17	तमिलनाडु	519690	519690	549084	565139	574258
18	तेलंगाना	175530	175530	175530	175530	180720
19	उत्तर प्रदेश	991784	991784	991784	1025236	1025236
20	उत्तराखंड	20690	20690	25906	23898	23898
21	पश्चिम बंगाल	644590	644590	644590	733189	726172
22	अरुणाचल प्रदेश	245607	3565	288	288	288
23	असम	286	114888	112222	113745	114903
24	मणिपुर	114141	5623	5655	6065	7075
29	मेघालय	5380	8498	8424	8024	8022
26	मिजोरम	7223	1925	1925	2278	2278
27	नागालैंड	1925	3720	3720	3720	3827
28	सिक्किम	3720	1463	1469	1469	1469
29	त्रिपुरा	1463	12989	13336	16013	17537
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	3	3	3	3
31	चंडीगढ़	942	942	942	2486	2486
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1858	1858	1858	1858	2109
33	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली	30712	30712	32797	32158	36361
34	लद्दाख	-	443	209	443	7570
35	लक्षद्वीप	92	89	89	87	80
36	पुदुचेरी	9785	8514	9785	9785	9821

VI. **पीएमएवाई-जी के अंतर्गत स्वीसकृत व निर्मित आवासों की संख्या**

(इकाई संख्या में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	मंत्रालय द्वारा आवंटित लक्ष्य	स्वीकृत मकान	पूर्ण हुए मकान
1	अरुणाचल प्रदेश	35,937	35,605	35,587
2	असम	26,11,793	22,10,708	19,94,485
3	बिहार	44,92,010	40,42,187	37,12,028
4	छत्तीसगढ	23,41,457	18,55,425	11,26,129
5	गोवा	257	254	240
6	गुजरात	9,02,354	8,25,011	5,65,254
7	हरियाणा	1,06,460	33,277	28,799
8	हिमाचल प्रदेश	1,21,502	97,624	24,465
9	जम्मू और कश्मीर	3,36,498	3,34,919	2,96,284
10	झारखंड	20,12,107	16,93,483	15,64,446
11	केरल	2,32,916	66,817	34,111
12	मध्य प्रदेश	49,89,236	41,90,867	36,90,416
13	महाराष्ट्र	33,40,872	31,44,572	12,70,503
14	मणिपुर	1,08,550	1,01,549	37,773
15	मेघालय	1,88,034	1,86,096	1,31,118
16	मिजोरम	29,967	29,966	24,606
17	नगालैंड	48,830	48,826	22,921
18	ओडिशा	28,49,889	28,24,843	23,43,514
19	पंजाब	1,03,674	66,899	38,820
20	राजस्थान	22,15,247	19,58,600	17,00,531
21	सिक्किम	1,399	1,397	1,387
22	तमिलनाडु	9,57,825	7,48,936	6,33,487
23	त्रिपुरा	3,76,913	3,76,454	3,67,887
24	उत्तार प्रदेश	36,85,704	36,56,714	36,12,189
25	उत्तराखंड	69,194	68,551	68,100
26	पश्चिम बंगाल	45,69,423	45,69,032	34,19,119
27	अंडमान और निकोबार	3,424	3,140	1,227
28	दादरा और नगर हवेली	11,206	11,138	3,937
29	दमन और दीव	158	158	24
30	लक्षद्वीप	45	53	45
31	पुडुचेरी*	-	-	-

32	आंध्र प्रदेश	2,47,114	2,46,931	84,046
33	कर्नाटक	9,44,140	3,39,719	1,45,395
34	तेलंगाना*	-	-	-
35	लद्दाख	3,004	3,004	3,004
	कुल	3,79,37,139	3,37,72,755	2,69,81,877

*तेलंगाना और पुडुचेरी इस योजना को लागू नहीं कर रहे हैं।

अनुबंध-II

"**ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं**" **के संबंध में लोक सभा में दिनांक** 11.02.2025 **को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या** 1206 **के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**-II

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि, जहां कहीं भी रखी गई हो, महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार

I. **डीएवाई-एनआरएलएम**

एनआरएलएम					**(रुपए करोड़ में)**		
वित्त वर्ष 2019-20 **से** 2023-24 **तक**					**वित्त वर्ष** 2024-25 **के दौरान**		
क्र.सं	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**केंद्रीय आवंटन**	**केंद्रीय जारी निधि**	**व्यय***	**केंद्रीय आवंटन**	**केंद्रीय जारी निधि**	**व्यय***
1	आंध्र प्रदेश	1008.85	745.82	1280.68	307.69	153.84	44.44
2	तेलंगाना	4114.19	5016.02	7284.68	219.78	0.00	7.04
3	बिहार	913.79	924.22	1354.42	1254.78	941.09	1443.38
4	छत्तीसगढ़	30.00	24.50	40.59	278.70	139.35	271.57
5	गोवा	651.00	609.85	889.82	9.00	6.75	7.39
6	गुजरात	382.99	210.48	312.15	198.55	148.91	211.32
7	हरियाणा	161.29	166.49	174.80	116.81	29.20	33.26
8	हिमाचल प्रदेश	557.06	556.12	551.31	49.19	36.89	45.91
9	जम्मू एवं कश्मीर	1551.29	1667.53	2629.70	60.79	15.20	71.69
10	झारखंड	1305.98	1166.98	1891.45	473.13	354.85	478.10
11	कर्नाटक	585.99	405.16	696.22	398.31	99.58	338.98
12	केरल	1958.59	1404.95	2218.72	178.72	89.36	118.08
13	मध्य प्रदेश	2453.62	2104.03	3078.23	597.04	298.52	341.78
14	महाराष्ट्र	1978.14	2608.45	3833.94	787.36	393.68	956.97
15	ओडिशा	186.13	130.20	213.83	603.31	150.83	402.51
16	पंजाब	991.68	1053.13	1752.16	56.77	28.38	39.45
17	राजस्थान	1529.22	1571.08	2663.25	302.45	226.84	266.79
18	तमिलनाडु	720.60	251.20	455.66	466.39	233.20	413.68
19	उत्तर प्रदेश	5923.07	5361.77	8502.26	1806.47	903.23	1157.09
20	उत्तराखंड	311.85	382.82	405.42	95.11	95.11	73.06

21	पश्चिम बंगाल	2198.31	2229.13	3253.28	670.46	502.84	774.19
22	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	26.00	20.00	16.91	7.00	1.75	2.32
23	दमन एवं दीव तथा दादरा नगर हवेली	24.50	10.38	7.81	5.50	2.75	0.43
24	लक्षद्वीप	11.39	3.69	9.28	3.50	0.88	0.43
25	लद्दाख	36.39	21.90	6.82	7.50	3.75	4.40
26	पुदुचेरी	57.00	47.33	45.62	20.00	10.00	7.60
	कुल (पूर्वोत्तर)	29668.93	28693.22	43569.01	8974.30	4866.78	7511.88
	पूर्वोत्तर राज्य						
1	अरुणाचल प्रदेश	474.90	372.39	359.67	79.56	39.78	74.51
2	असम	1547.47	1622.98	1726.62	406.88	305.16	377.85
3	मणिपुर	443.92	164.93	167.45	138.58	34.65	33.70
4	मेघालय	717.19	696.08	547.73	155.26	116.45	168.92
5	मिजोरम	622.01	252.86	265.44	35.93	0.00	35.46
6	नागालैंड	777.37	420.06	388.00	106.50	53.25	89.67
7	सिक्किम	252.83	66.48	71.75	39.78	9.94	5.82
8	त्रिपुरा	1041.72	781.38	881.62	250.22	125.11	139.52
	कुल (पूर्वोत्तर)	5877.42	4377.16	4408.29	1212.70	684.33	925.44
	कुल योग	35546.35	33070.38	47977.30	10187.00	5551.11	8437.32

II. महात्मा गांधी नरेगा

क्र.सं	**वित्तीय वर्ष** 2019-20 **से** 2024-25 **तक महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत जारी निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा** (03.02.2025 **की स्थिति के अनुसार)** (**करोड़ रुपए में**)						
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (03.02.25 **की स्थिति के अनुसार**)
1	आंध्र प्रदेश	7204.72	10305.10	7182.67	7989.09	7332.63	7471.65
2	अरुणाचल प्रदेश	210.20	340.28	453.74	577.58	426.10	525.18
3	असम	1687.52	2602.33	2220.26	2052.35	2221.38	1870.88
4	बिहार	3250.94	7284.24	5407.37	6395.29	6200.03	6723.31
5	छत्तीसगढ़	2640.32	3943.48	3894.34	3383.55	2888.56	3266.51
6	गोवा	2.17	3.57	0.04	5.12	0.88	3.17

7	गुजरात	747.58	1478.12	1615.24	1692.07	1801.62	1389.36
8	हरियाणा	338.13	763.56	722.68	373.99	476.71	581.56
9	हिमाचल प्रदेश	597.48	948.33	975.75	1157.48	997.13	1200.45
10	जम्मू और कश्मीर	1183.70	1152.32	950.14	1050.61	920.44	1126.90
11	झारखंड	1272.93	3424.08	3063.83	2708.64	2916.76	2347.04
12	कर्नाटक	5462.71	5500.99	6028.08	6225.28	5415.74	5322.39
13	केरल	3520.17	4286.78	3551.93	3818.43	3513.48	3034.24
14	लद्दाख	0.00	22.49	59.04	68.93	62.64	72.77
15	मध्य प्रदेश	4718.94	9086.73	8479.09	5702.13	5871.14	5656.80
16	महाराष्ट्र	1670.66	1600.26	2056.46	2549.73	3034.44	4318.79
17	मणिपुर	610.75	1306.74	563.11	1086.63	0.00	568.94
18	मेघालय	1024.44	1284.17	1121.66	1116.92	912.33	1016.97
19	मिजोरम	525.08	590.45	548.92	538.72	506.06	549.39
20	नागालैंड	330.45	483.82	569.46	897.45	637.96	260.57
21	ओडिशा	2432.78	5215.29	5680.15	4638.36	4891.89	3436.73
22	पंजाब	748.86	1239.14	1257.59	1182.13	1166.55	1254.47
23	राजस्थान	7267.48	8920.76	9867.75	9662.99	8671.62	7555.81
24	सिक्किम	82.69	110.17	112.42	92.55	111.95	95.13
25	तमिलनाडु	5559.69	8788.82	9638.13	9706.62	12603.36	7267.17
26	तेलंगाना	2221.32	4111.21	4105.20	2988.68	3508.59	3784.15
27	त्रिपुरा	731.14	1194.99	988.88	922.03	1043.59	951.07
28	उत्तर प्रदेश	6017.02	12014.10	8509.57	10629.01	9808.55	9594.89
29	उत्तराखंड	455.80	886.27	642.03	792.84	551.66	585.01
30	पश्चिम बंगाल	8507.61	11454.05	7507.80	0.00	0.00	0.00
31	अंडमान और निकोबार	5.84	4.86	7.63	9.60	0.00	3.77
32	लक्षद्वीप	0.24	0.00	0.30	0.00	0.00	0.32
33	पुदुचेरी	16.92	26.84	13.07	24.95	58.77	39.99
34	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	1.62	2.21	7.52
	कुल	71046.29	110374.31	97794.33	90041.39	88554.76	81882.91

नोट: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम , 2005 की धारा 27 के प्रावधानों के अनुसार , केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने के कारण, 09 मार्च, 2022 से पश्चिम बंगाल राज्य को निधि देना बंद कर दिया गया है।

महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक किए गए व्यय (राज्य अंश सहित) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण (06.02.2025 की स्थिति अनुसार)							
क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल व्यय (रुपए करोड़ में)					
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (06.02.25 की स्थिति के अनुसार)
1	आंध्र प्रदेश	5563.97	10974.6074	8301.64	8623.50	8940.34	7575.16
2	अरुणाचल प्रदेश	158.80	485.3545	478.34	583.13	581.14	536.23
3	असम	1442.21	2522.7094	2380.95	2041.99	2436.44	1901.28
4	बिहार	3374.40	6424.9667	6502.05	6684.01	7896.90	7469.98
5	छत्तीसगढ़	3011.55	4112.3375	3979.80	3589.82	3847.87	3576.10
6	गोवा	1.34	3.2591	3.75	4.19	2.50	2.83
7	गुजरात	965.65	1334.9628	1735.43	1973.62	2040.96	1475.13
8	हरियाणा	378.58	801.961	707.01	471.19	584.55	608.73
9	हिमाचल प्रदेश	708.92	988.8218	1088.49	1290.57	1283.85	1388.97
10	जम्मू और कश्मीर	1004.80	1555.6702	1144.05	968.66	1218.46	1070.36
11	झारखंड	1700.55	3150.423	3049.49	2929.74	3781.50	2721.39
12	कर्नाटक	4752.52	5636.3607	6202.71	6597.60	6612.28	5537.68
13	केरल	2702.24	3868.2835	4022.76	3991.05	3968.70	3317.98
14	लद्दाख	67.45	50.3024	58.14	67.49	70.08	67.62
15	मध्य प्रदेश	4950.19	9141.7576	8037.89	7793.77	7131.48	6072.59
16	महाराष्ट्र	1825.70	2021.1483	2423.40	3026.06	4462.30	4727.72
17	मणिपुर	455.43	1052.6515	924.83	804.45	664.14	694.63
18	मेघालय	1098.40	1367.1288	1127.17	1265.98	1091.75	1177.81
19	मिजोरम	515.29	549.2195	529.91	541.99	705.77	529.31
20	नागालैंड	393.64	442.8299	539.05	889.93	772.67	257.68
21	ओडिशा	2803.74	5426.0806	5872.34	5535.56	5432.57	3983.00
22	पंजाब	767.51	1241.6018	1279.35	1337.85	1318.35	1177.67
23	राजस्थान	6702.54	9798.2776	10454.27	10186.39	9293.68	8315.38
24	सिक्किम	90.53	107.4323	117.76	106.53	128.63	98.25
25	तमिलनाडु	5621.58	8435.1614	9795.62	11421.01	13392.87	9570.12
26	तेलंगाना	2193.32	4580.7083	4189.91	3443.16	4072.66	3588.33
27	त्रिपुरा	857.68	1063.9827	1084.82	1008.54	1126.93	1060.61
28	उत्तर प्रदेश	6054.29	12915.7651	8758.44	11932.95	11396.30	11051.95

29	उत्तराखंड	556.09	853.7986	628.60	909.10	723.14	593.59
30	पश्चिम बंगाल	7241.51	10205.168	10908.58	1062.53	183.25	137.23
31	अंडमान और निकोबार	4.59	6.6804	6.21	3.49	4.96	3.26
32	दादरा नगर हवेली और दमन दीव	0.00	0	0.00	0.00	1.08	7.67
33	लक्षद्वीप	0.11	0.0574	0.04	0.13	0.13	0.00
34	पुदुचेरी	17.11	25.3218	14.36	23.71	61.61	34.00
	कुल	67982.23	111144.792	106347.16	101109.70	105229.83	90330.24

III. **डीडीयू-जीकेवाई**

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत राज्यवार और वर्षवार निधि जारी करने की स्थिति।

(रुपए लाख में)

क्र.सं	**राज्य**	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25(**जून**, 2024 **तक**)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	7910.93	0.00	0.00	0.00	4350.86	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	1333.50	0.00	0.00	53.60	529.00
4	असम	10433.00	1328.40	313.78	0.00	2210.23	3749.99
5	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
6	छत्तीसगढ़	13913.07	60.00	91.47	0.00	20.01	1394.00
7	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
8	गुजरात	8205.60	0.00	0.00	0.00	0	0.00
9	हरियाणा	308.46	1318.00	0.00	0.00	0	805.00
10	हिमाचल प्रदेश	2583.90	69.30	74.23	2665.68	2631.74	1627.00
11	जम्मू एवं कश्मीर	23376.59	0.00	117.47	58.82	0	0.00
12	झारखंड	0.00	4171.27	0.00	1682.50	2786.45	3292.30
13	कर्नाटक	0.00	0.00	96.72	44.81	22.15	0.00
14	केरल	0.00	16381.56	0.00	0.00	0	0.00
15	मध्य प्रदेश	11558.00	319.33	0.00	2096.97	2168.51	6002.00
16	महाराष्ट्र	21925.00	0.00	0.00	0.00	25.73	0.00

17	मणिपुर	4468.79	0.00	0.00	0.00	17.15	0.00
18	मेघालय	2161.35	143.90	70.30	42.56	1247.36	529.00
19	मिजोरम	237.00	552.50	0.00	0.00	0	0.00
20	नागालैंड	285.35	3727.80	0.00	0.00	12.86	981.00
21	ओडिशा	16616.31	4135.00	0.00	175.77	3630.14	0.00
22	पुदुचेरी	922.20	14.00	47.49	35.76	439.74	174.99
23	पंजाब	8073.50	0.00	0.00	1647.89	929.75	2872.00
24	राजस्थान	0.00	9714.81	0.00	0.00	0	1450.00
25	सिक्किम	1566.90	43.35	0.00	0.00	673.93	312.00
26	तमिलनाडु	7698.00	5079.00	0.00	50.86	1876.32	0.00
27	तेलंगाना	21597.00	108.00	0.00	0.00	0	0.00
28	त्रिपुरा	0.00	772.94	58.49	37.38	17.14	0.00
29	उत्तर प्रदेश	765.00	48834.50	0.00	0.00	0	0.00
30	उत्तराखंड	8712.40	5668.14	0.00	43.86	41.79	0.00
31	पश्चिम बंगाल	11248.39	125.95	0.00	0.00	16.44	0.00
	कुल	184569.73	104699.24	869.95	8582.86	23171.90	23718.28

स्रोत: ग्रामीण कौशल प्रभाग अभिलेख (डीडीयू-जीकेवाई)

IV. आरएसईटीआई

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आरएसईटीआई के अंतर्गत राज्यवार और वर्षवार निधि जारी करने की स्थिति।

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	22.21	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	128.18	391.83	0.00	1566.05	1566.05	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	75.80	64.76	0.00	637.36	892.96	500.72
5	बिहार	401.30	102.58	644.10	0.00	1500.00	2341.71
6	छत्तीसगढ़	0.00	147.22	0.00	1450.81	0.00	2000.00
7	दादरा और नगर हवेली	0.00	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00
8	गुजरात	327.85	322.72	0.00	2176.75	862.73	0.00
9	हरियाणा	241.97	0.00	0.00	450.72	352.31	398.26

10	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	402.69	0.00	0.00	0.00	0.00
12	झारखंड	180.33	403.75	430.07	1139.65	0.00	2000.00
13	कर्नाटक	263.19	723.46	0.00	2017.36	2265.24	1109.76
14	केरल	216.27	162.48	0.00	0.00	1214.90	0.00
15	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	मध्य प्रदेश	1277.06	600.40	3542.63	0.00	1500.00	3500.00
17	महाराष्ट्र	237.85	1074.94	0.00	2647.82	2127.13	962.71
18	मणिपुर	21.09	8.21	0.00	0.00	98.75	0.00
19	मेघालय	21.35	9.69	0.00	171.24	107.57	0.00
20	मिजोरम	0.00	19.81	0.00	0.00	86.49	0.00
21	नागालैंड	8.13	6.70	0.00	0.00	63.02	28.32
22	ओडिशा	235.65	581.34	588.07	1133.50	1250.76	1464.00
23	पुदुचेरी	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	पंजाब	64.28	193.10	305.05	966.27	361.67	0.00
25	राजस्थान	368.80	436.86	0.00	1322.91	1218.42	0.00
26	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	तमिलनाडु	552.56	528.35	0.00	1518.84	2735.86	0.00
28	तेलंगाना	134.90	795.20	0.00	1147.63	0.00	0.00
29	त्रिपुरा	22.91	67.31	0.00	106.40	101.21	0.00
30	उत्तर प्रदेश	156.55	836.72	2852.93	0.00	0.00	0.00
31	उत्तराखंड	0.00	298.34	0.00	248.65	0.00	0.00
32	पश्चिम बंगाल	113.20	113.29	0.00	0.00	1000.00	0.00
	कुल	5069.16	8336.99	8385.06	18701.96	19305.07	14305.48

स्रोत: ग्रामीण कौशल प्रभाग अभिलेख (आरएसईटीआई)

V. एनएसएपी

(रुपए करोड़ में)

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 06.02.2025 तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधियां							
क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईजीएनडब्ल्यूपीएस					
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	91.07	91.07	68.3	91.07	114.29	70.3
2	बिहार	203.12	203.12	233.45	235.34	235.49	203.04
3	छत्तीसगढ़	65.48	45.23	70.56	73.06	75.03	75.73
4	गोवा	0	0	0	0	0	0

5	गुजरात	19.03	78.81	40.49	0	0	0
6	हरियाणा	21.19	7.98	0	43.77	0	0
7	हिमाचल प्रदेश	6.67	6.67	1.67	5	14.26	0
8	जम्मू और कश्मीर	1.13	1.24	2.02	1.41	4.87	1.61
9	झारखंड	50.14	75.53	120.56	99.18	72.98	55
10	कर्नाटक	170.6	170.6	167.61	159.46	133.87	0
11	केरल	38.79	96.98	0	0	204.3	52.6
12	मध्य प्रदेश	187.4	190.35	149.18	244.79	202.8	214.89
13	महाराष्ट्र	0	15.58	19.65	13.5	0	43.21
14	ओडिशा	195.12	206.12	188.37	195.99	193.29	87.36
15	पंजाब	0	5.77	1.71	0	3.58	3.45
16	राजस्थान	59.33	66.87	25.84	162.35	86.69	160.82
17	तमिलनाडु	192.7	96.35	218.02	236.23	214.96	149.32
18	तेलंगाना	32.54	97.63	32.54	65.09	49.3	0
19	उत्तर प्रदेश	135.4	135.6	180.11	190.08	0	341.55
20	उत्तराखंड	3.84	11.51	2.4	11.64	8.86	8.93
21	पश्चिम बंगाल	234.26	217.49	179.26	203.9	340.94	203.42
22	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0.51	0
23	असम	42.32	42.6	41.61	42.18	42.61	32.08
24	मणिपुर	1.86	3.08	0.51	2.71	1.78	2.63
25	मेघालय	1.85	3.15	1.47	2.74	2.89	2.26
26	मिजोरम	0.71	0.71	0.36	0.76	0.83	0.86
27	नागालैंड	1.38	1.38	0.69	1.72	0.7	1.78
28	सिक्किम	0.42	0.81	0	0.68	0	0
29	त्रिपुरा	9.28	2.69	3.71	4.21	4.99	6.04
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0.27	0	0	0	0
31	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
33	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली	5.69	2.85	17.28	0	0	0
34	लद्दाख		0.09	0	0.15	0	0.37
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	3.16	3.16	1.81	0	0	0
	कुल	1774.94	1881.28	1769.19	2087	2009.8	1717.24

VI. **पीएमएवाई-जी केन्द्रांश जारी और राज्यों द्वारा उपयोग**

(रुपये करोड़ में)

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी और उपयोग किए गए केन्द्रांश का राज्य वार ब्यौरा					
क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**पिछले 5 वर्ष यानि 2019-20 से 2023-24**		2024-25	
		केन्द्रांश जारी	**राज्य द्वारा उपयोग***	**केन्द्रांश जारी**	**राज्य द्वारा उपयोग***
1	अरुणाचल प्रदेश	375.04	390.18	0	31.44
2	असम	20784.71	22781.54	2795.7747	2505.91
3	बिहार	22195.99	37041.02	14.92	2354.53
4	छतीसगढ	2944.66	5029.11	3240.4269	4444.65
5	गोवा	0.00	2.76	0	0.02
6	गुजरात	2736.63	4732.36	710.2805	953.85
7	हरियाणा	82.11	188.67	0	8.82
8	हिमाचल प्रदेश	180.91	204.18	582.455	577.77
9	जम्मू और कश्मीर	3253.24	3313.42	96.2925	536.85
10	झारखंड	8263.29	14035.34	187.79	264.38
11	केरल	72.40	221.21	66.02	93.58
12	मध्य प्रदेश	17983.90	28721.46	3726.1015	2218.92
13	महाराष्ट्र	6836.51	11280.49	1166.2552	1551.08
14	मणिपुर	493.79	419.29	0	138.07
15	मेघालय	2001.51	1902.65	0	228.73
16	मिजोरम	245.55	247.28	0	55.61
17	नागालैंड	421.47	389.06	27.4525	122.58
18	ओडिशा	12065.06	19093.60	784.7475	2394.78
19	पंजाब	171.84	304.86	117.13	99.56
20	राजस्थान	7672.48	12633.52	372.225	785.74
21	सिक्किम	3.77	4.49	0	0.53
22	तमिलनाडु	3527.69	5604.43	125.52	238.01
23	त्रिपुरा	4252.72	4409.73	204.11	137.43
24	उतार प्रदेश	17101.50	28399.88	130.06	704.65
25	उत्तराखंड	665.45	671.79	11.81	71.11
26	पश्चिम बंगाल	15474.38	25503.74	0	27.69
27	अंडमान और निकोबार	22.33	14.13	0	1.81

28	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	55.98	109.58	16.1225	18.73
29	लक्षद्वीप	0.00	0.36	0	0.00
30	पुडुचेरी**	0.00	0.00	0	0.00
31	आंध्र प्रदेश	312.25	591.31		75.79
32	कर्नाटक	528.13	468.67	414.035	385.89
33	तेलंगाना	0.00	0.00	0	0.00
34	लद्दाख	21.99	20.53	0	0.08
	कुल	150747.27	228730.67	14789.53	21028.60

*उपयोगिता में राज्य का हिस्सा भी शामिल है।

**पुडुचेरी इस योजना को क्रियान्वित नहीं कर रहा है।

****